

दावा सं. 33/5/6/18

निर्णय 5/6/18

राजस्थान लोक अदालत अभियान

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प  
आय आपक धार 2018  
आणका परखेडा  
दिनांक :- 5/6/18

क्रमांक :- कैम्प कोर्ट/18/5287

**आदेश**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 125 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:

| क्र.सं. | ग्राम       | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1.      | आणका परखेडा | 125         | गंगासहाय पुत्र मित्रा                | गंगासहाय पुत्र रेवड़ा  |

पदीयक कलक्टर  
कैम्प

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर, .....

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर.....